न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 213/2024

अनवान :

1. रामकुमार पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. देवीलाल पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील।

:– वादी

बनाम

1. साजनराम पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. जयसिंह पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. जयप्रकाश पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. रूपराम पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. सुखीदेवी पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
6. सावत्रीदेवी पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
7. कमलदेवी पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिए शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैक मलसीसर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री ताराचंद मोठसरा : वादी

वकील श्री चरणसिंह पूनियां : **प्रतिवादी सं0 1 ता 7**

निर्णय **दिनांक : 09.12.25**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 332/298 के खसरा संख्या 17/2 की 3.0350 है0 बारानी, खसरा संख्या 423 की 0.0630 गै.मु.कुण्ड, खसरा संख्या 424/4 की 5.4380 है0 बारानी कुल खसरा 3 की 8.536 है0 बारानी वादभूमि मे प्रतिवादी सं0 1 साजनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि पहले वादी के दादा मलाराम की खातेदारी हुआ करती थी जो मलाराम से विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 08, 09 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में रामकुमार पुत्र साजनराम जाति [illegible] नि[illegible] मलसीसर तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा [illegible] जमाबंदी संवत 2075–78 खाता संख्या 332/298 प्रदर्श 1, [illegible] सर जमाबंदी संवत 205[illegible] संख्या 157/156, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मलसी[illegible] [illegible]दर्श 3, प्रदर्शित करवाये ग[illegible]

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 16:44:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 332/298 के खसरा संख्या 17/2 की 3.0350 है0 बारानी, खसरा संख्या 423 की 0.0630 गै.मु.कुण्ड, खसरा संख्या 424/4 की 5.4380 है0 बारानी कुल खसरा 3 की 8.536 है0 बारानी वादभूमि मे प्रतिवादी सं0 1 साजनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 साजनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 332/298 के खसरा संख्या 17/2 की 3.0350 है0 बारानी, खसरा संख्या 423 की 0.0630 गै.मु.कुण्ड, खसरा संख्या 424/4 की 5.4380 है0 बारानी कुल खसरा 3 की 8.536 है0 बारानी वादभूमि मे प्रतिवादी सं0 1 साजनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 साजनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 रामकुमार व वादी सं0 2 देवीलाल एवं प्रतिवादी संख्या 2 जयसिंह, प्रतिवादी सं0 3 जयप्रकाश, प्रतिवादी सं0 4 रूपराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 16:44:31 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 213/2024

अनवान :

1. रामकुमार पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. देवीलाल पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील।

:– वादी

बनाम

1. साजनराम पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. जयसिंह पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. जयप्रकाश पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. रूपराम पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. सुखीदेवी पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
6. सावत्रीदेवी पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
7. कमलदेवी पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर जरिए शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक मलसीसर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री ताराचन्द एवं वकील प्रतिवादीगण श्री चरणसिंह पूंनिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता संख्या 332/298 के खसरा संख्या 17/2 की 3.0350 है0 बारानी, खसरा संख्या 423 की 0.0630 गै.मु.कुण्ड, खसरा संख्या 424/4 की 5.4380 है0 बारानी कुल खसरा 3 की 8.536 है0 बारानी वादभूमि मे प्रतिवादी सं0 1 साजनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 साजनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 रामकुमार व वादी सं0 2 देवीलाल एवं प्रतिवादी संख्या 2 जयसिंह, प्रतिवादी सं0 3 जयप्रकाश, प्रतिवादी सं0 4 रूपराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया [illegible] अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.12.2025...... को हस्ता[illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 16:44:31 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner